कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/37/2024

श्री गजराज पुत्र स्व0 श्री सामलिया निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील कांमा जिला डीग (राज0) मो.नं. 7339728072

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 08.08.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री गजराज पुत्र स्व0 श्री सामलिया निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील कांमा जिला डीग की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/528 दिनांक 22.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर के पत्रांक जि.अभि./2024/81 दिनांक 02.08.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में कार्यालय के पत्रांक जि.अभि./2024/36 दिनांक 24.5.2024 से प्रत्येक पंजीकृत

2.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

दस्तावेज हेतु 100 रू. का नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प मय नियमानुसार दस्तावेज शुल्क (चालान) राजकोष में जमा करवाकर चालान प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया, लेकिन अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक निर्धारित प्रपत्र मय स्टाम्प एवं दस्तावेज शुल्क कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके अभाव में प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प एवं दस्तावेज शुल्क राजकोष में जमा कराये जाने के उपरान्त चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार नकल/सूचना प्राप्त करने के सन्दर्भ में सूचित किया जा चुका है। प्रार्थी/अपीलार्थी नियमानुसार न्यायायिक स्टाम्प एवं नकल शुल्क राजकोष में जमा कर जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर को भी प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर